न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री चन्द्रभान सिंह भाटी आर.ए.एस.

रसद अपील :: 46/2021 ::

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2021/216 ::

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्टगण
मैसर्स कमला/कालुराम उचित मुल्य दुकान, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली(एफ.पी.एस.कोड 18264		जिला रसद अधिकारी, पाली

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण एवं विनियमन)

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्द दवे।
अप्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 21.12.21

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण एवं विनियमन) के तहत प्रस्तुत कर जिला रसद अधिकारी पाली के प्रकरण संख्या 03/2021 में पारित आदेश क्रमांक/रसद/अभियोजन/वि.प्र./2021/358 दिनांक 25.10.2021 के विरूद्व पेश की है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलाण्ट अधिवक्ता ने वक्त बहस एवं प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अपीलाण्ट सोजत सिटी में उचित मुल्य की दुकान(एफ.पी.एस. कोड 18264) का संचालन विभाग के आदेशानुसार वर्ष 1980 से नियमानुसार करती आ रही है। दिनांक 20.10.2021 को श्रीमान शासन सचिव महोदय खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग जयपुर को प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 21.10.2021 को श्रीमति कृष्णा कवंर भाटी प्रवर्तन निरीक्षक सोजत द्वारा अपीलाण्ट की उचित मुल्य की दुकान पर जांच की गई जिसमें उपभोक्ता प्रकाश की मृत्यु उपरांत सितम्बर 2019 से दिनांक 05.10.2021 तक राशन कार्ड संख्या 200002013473 से 895 किलो ग्राम गेहुं, 14 किलोग्राम चीनी एवं 07 किलोग्राम दाल का गैर कानुनी तरीके से ट्रांजेक्शन करने पर जवाब मय दस्तावेज तीन दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने को कहा गया जिस पर अपीलाण्ट ने अपना जवाब प्रस्तुत किया एवं जवाब से असंतुष्ट होने पर रेस्पोडेण्ट ने दिनांक 21.10.2021 को अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निलम्बित कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.10.2021 को खाद्यान अन्तर राशि 25250/– राजकोष में जमा करवा देने के उपरांत भी अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया है। प्रकरण में दौराने जांच में यह तथ्य सामने आया कि राशन कार्ड संख्या 200002013473 के धारक प्रकाश की मृत्यु हो चुकी है, जिससे अपीलांट अनभिज्ञ था एवं इस संबध में प्रकाश के परिवार वालों द्वारा भी अपीलाण्ट को किसी प्रकार की जानकारी नही दी गई और अपीलांट प्रकाश के परिवारजनों के बताये तथ्यों के आधार पर भरोसा एवं विश्वास कर राशन सामग्री का वितरण करता रहा। अपीलाण्ट सन 1980 से लगातार ईमानदारीपूर्वक विभाग के नियमानुसार दुकान का संचालन कर रही है। अपीलाण्ट की आजीविका का एक मात्र साधन उचित मूल्य की दुकान है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की जांच किये बगैर, मनमाने ढंग से अपीलाण्ट के उचित मूल्य की दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया। जिसे बचाने के लिए अपीलाण्ट ने कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली के आदेश पर चालान संख्या 0054724288 द्वारा खाद्यान अन्तर राशि 25250/–राजकोष में जमा करवा दी है। प्रतिभूमि राशि जमा करवाने के उपरांत भी अपीलाण्ट की दुकान का प्राधिकार पत्र कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली के आदेश क्रमांक रसद/अभियोजन/वि.प्र./2021/358 के अनुसार दिनांक 25.10.2021 को निरस्त कर दिया है। प्रकरण में संबधित जांच अधिकारी ने वास्तविक तथ्यों की जांच किये बगैर केवल शिकायत कर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाण्ट की उचित मुल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी, पाली के प्रकरण संख्या 03/2021 मे पारित आदेश क्रमांक रसद/अभियोजन/ वि.प्र./2021/358 दिनांक 25.10.2021 के आदेश को निरस्त कराने का आदेश फरमावे।

रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि दिनांक 20.10.2021 श्रीमान शासन सचिव महोदय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर को प्राप्त शिकायत की दिनांक 21.10.2021 को श्रीमती कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन निरीक्षक, सोजत द्वारा मैसर्स कमला/कालुराम उचित मुल्य दुकान सोजत सिटी, तहसील सोजत(एफसीएस कोड–18264) की जांच गई जिसमें पाया गया कि राशन डीलर कमला द्वारा उपभोक्ता प्रकाश की मृत्यु उपरान्त माह सितम्बर 2019 से 05.10.2021 तक राशन कार्ड संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

200002013473 से 895 किलोग्राम गेहुं, 14 किग्रा चीनी एवं 7 किग्रा दाल का गैर कानुनी तरीके से ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया, जिसके लिए मैसर्स कमला/कालुराम उचित मुल्य दुकान(18264) सोजत सिटी को कार्यालय पत्रांक रसद/अभि/वि.प्र./2021 दिनांक 21.10.2021 को कारण बताओ नोटिस जारी कर 03 दिवस में अपना जवाब पेश करने को कहा गया। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.10.2021 को अपना जवाब पेश कर यह स्वीकार किया कि उसके पुत्र द्वारा भूलवश राशनकार्ड संख्या 200002013473 से 895 किग्रा गेहुं, 14 किग्रा चीनी व 7 किग्रा दाल का ट्रांजेक्शन हो गया है जिसकी खाद्यझ्न अन्तर राशि जरिये चालान 0054724288 दिनांक 21.10.2021 को 25250/–रूपये राजकोष में जमा करवा दी गई है। भविष्य में पुनरावृर्ति नही होगी। प्रकरण में दौराने जांच से यह साबित होता है कि उचित मुल्य दुकान मैसर्स कमला/कालुराम उमूदु(एफपीसी कोड–18264)पर अनियमितता हुई है इसलिए अपीलाण्ट की अपील खारिज की जावें एवं जाकर कार्यालय जिला रसद अधिकारी, पाली के प्रकरण संख्या 03/2021 मे पारित आदेश क्रमांक रसद/अभियोजन/ वि.प्र./2021 358 दिनांक 25.10.2021 के आदेश को यथावत रखा जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मैसर्स कमला देवी/कालुराम उमुदु(एफपी.सी कोड 18264) सोजत सिटी के संबध में शिकायतकर्ता भंवरीदेवी के प्रार्थना पत्र एवं शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग, जयपुर से प्राप्त शिकायत की जाचं कृष्णा कंवर भाटी प्रवर्तन निरीक्षक, सोजत द्वारा की गई, जिसमें राशन डीलर कमला द्वारा उपभोक्ता प्रकाश की मृत्यु उपरांत सितम्बर 2019 से 05.10.2021 तक राशनकार्ड संख्या 200002013473 से 895 किग्रा गेहुं, 14 किग्रा चीनी एंव 7 किग्रा दाल का गैर कानुनी तरीके से ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया है। जांच के दौरान यह कहीं सिद्ध नही हो पाया कि उपभोक्ता श्री प्रकाश की मृत्यु कब हुई है, तथा उसके राशनकार्ड संख्या 200002013473 से जो खाद्य सामग्री का गैर कानुनी रूप से ट्रांजेक्शन किया गया है वह डीलर कमला/कालुराम उमुदू(18264) द्वारा किया गया है या उपभोक्ता प्रकाश के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है। उपभोक्ता श्री प्रकाश का बाईपास उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा वर्ष 2017 में किया गया था लेकिन उपभोक्ता श्री प्रकाश का देहांत लगभग वर्ष 2019 में होना बताया है, दौराने जाचं में यह भी स्पष्ट नही हो पाया की श्री प्रकाश के राशनकार्ड का बाईपास हो जाने पर राशन सामग्री उचित मूल्य दुकान से ले जाने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा जो खाद्यान्न की अन्तर राशि राजकोष में जमा करवायी गयी वह किस आधार पर निर्धारित कि यह कही स्पष्ट नही होता है। अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत जवाब में यह स्वीकार किया है कि मेरे पुत्र से यह भूलवश हो गया है उसके संबध मे अपीलाण्ट या उसके पुत्र की कोई बदनियती नही थी। दौराने जांच प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने से अपीलाण्ट ने अपील दुकान की बचाने के लिए भूलवश हुए ट्रांजेक्शन की खाद्यान अन्तर राशि चालान संख्या 0054724288 दिनांक 21.10.2021 को रूपये 25250/–राजकोष में जमा करवा दी गई है एवं भविष्य में ऐसी पुनरावृति नही करने का भी कथन किया है। अपीलाण्ट के विरूद्व दस्तावेजी साक्ष्यों की जाचं किये बिना मनमाने ढगं से सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है जो विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरुप अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रकरण संख्या 03/2021 बअनवान जिला रसद अधिकारी पाली बनाम मैसर्स कमला/कालुराम उमुदु(18264)सोजत सिटी में पारित आदेश दिनांक 25.10.2021 को अपास्त किया जाकर जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नये सिरे से जांच कर अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ मूल रेकर्ड लौटाया जावें

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 21.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली